मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2016-17

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2016-17

विभागीय मंत्री		श्री ओमप्रकाश धुर्वे,
प्रमुख सचिव		श्री के.सी. गुप्ता,
उप सचिव		श्री बी.के. चन्देल,
विभागाध्यक्ष	1	श्री फैज़ अहमद किदवई, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
	2	श्री एस.के. जैन, नियंत्रक, नाप तौल
आयोग		श्री अवधेश कुमार श्रीवास्ताव, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
निगम	1	श्री के.सी. गुप्ता, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन
	2	श्री फैज़ अहमद किदवई, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रस्तावना-

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत दो विभागाध्यक्ष कार्यालय यथा- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय एवं नियंत्रक नाप-तौल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भी है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत दो निगम हैं,

1. मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन।
2. मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कार्पोरेशन।

विभाग द्वारा प्रतिपादित नीति संबंधी विषय निम्नानुसार हैं-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन।
2. खाद्यान्न का उपार्जन।
3. पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण।
4. आवश्यक वस्तुओं के थोक और फुटकर मूल्यों का संकलन।
5. बांट और माप का प्रमाणीकरण।
6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन राज्य में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रतितोषण।

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम -

1. मध्यप्रदेश कृषि भंडारगृह अधिनियम, 1947
2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
3. चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
5. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

विभाग द्वारा प्रशासित नियम -

1. मध्यप्रदेश कृषि गोदाम नियम, **1961**
2. मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, **1987**
3. मध्यप्रदेश नाफ्था (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम, **2000**
4. मध्यप्रदेश विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) नियम, **2000**
5. मध्यप्रदेश उपभोक्ता कल्याण निधि नियम, **2009**
7. विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, **2011**

8. विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तु) नियम, **2011**
9. विधिक माप विज्ञान (संख्यांक) नियम, **2011**
10. मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम, **2011**

विभाग अंतर्गत प्रशासित भारत सरकार के नियंत्रण आदेश -

1. स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987
2. केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन तथा अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993
3. खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998
4. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण, प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999
5. विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000
6. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण विनियमन) आदेश, 2000
7. नाप्था (अर्जन, विक्रय भण्डारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000
8. द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटर यानों में उपयोग का विनियमन) आदेश, 2001
9. मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (प्रदाय तथा वितरण का नियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005
10. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015

विभाग अंतर्गत प्रशासित राज्य सरकार के नियंत्रण आदेश-

1. मध्यप्रदेश नमक(नियंत्रण) आदेश, **1963**
2. मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश, **1979**
3. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, **1980**
4. मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, **20**15

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

स्थापना

संचालनालय - स्वीकृत पद

1.	आयुक्त	1
2.	अपर संचालक	2
3.	संयुक्त संचालक	4
4.	उप संचालक	4
5.	उप संचालक (लेखा)	1
6.	सहायक संचालक	6
7.	तृतीय वर्ग कर्मचारी	70
8.	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	13

जिला कार्यालय - स्वीकृत पद

1.	जिला आपूर्ति नियंत्रक	10
2.	जिला आपूर्ति अधिकारी	41
3.	सहायक आपूर्ति अधिकारी	146
4.	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	400
5.	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	252
6.	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	123

मुख्य कार्य -

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त आवश्यक वस्तुओं का आवंटन जारी करना एवं जारी आवंटन के उठाव एवं वितरण का पर्यवेक्षण।
2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का परिपालन कराना।
3. भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, तथा मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा एवं मक्का) के उपार्जन की व्यवस्था कराना।
4. विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य।
5. उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का संचालन।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन

- **मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार)**

प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिनांक 01 मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार प्रारम्भ किया गया। माह मार्च, 2014 में लगभग 92 लाख परिवारों एवं 3.88 करोड़ जनसंख्या को खाद्यान्न, नमक, शक्कर एवं केरोसीन का वितरण प्रारम्भ किया गया। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नांकित है:-

- ❖ प्रदेश में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।
- ❖ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूं रू. 2.00 प्रति किलो एवं चावल रू. 3.00 प्रति किलो दिए जाने का प्रावधान है, जबकि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को गेहूं एवं चावल रू. 1.00 प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जा रहा है।
- ❖ पात्र परिवारों की संख्या एवं लाभांवित जनसंख्या में प्रतिमाह वृद्धि हुई एवं फरवरी, 2017 में लाभांवित परिवारों की संख्या 115.37 लाख एवं कुल जनसंख्या लगभग 536.55 लाख हो गई। जिलेवार पात्र परिवारों की संख्या की जानकारी **परिशिष्ट-एक** पर दर्शित है। योजनांतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राज्य शासन द्वारा राशि रू. 509 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ❖ पात्र परिवारों में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के साथ-साथ प्राथमिकता परिवार के रूप में 24 श्रेणियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों में न सिर्फ समस्त बीपीएल परिवार सम्मिलित किए गए अपितु 23 अन्य श्रेणियों के गैर-बीपीएल परिवारों को भी सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार मध्यप्रदेश में कुल 25 श्रेणियों को पात्र परिवार की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है जो निम्नानुसार हैं -

- **पात्र परिवारों की श्रेणियाँ-**

अ. अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार।

ब. प्राथमिकता परिवार-

(1) समस्त बीपीएल परिवार।

(2) समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।

(4) साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।

(5) सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।

(6) अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।

(7) घरेलू कामकाजी महिलाएँ।

(8) फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।

(9) वनाधिकार पट्टेधारी।

(10) रेलवे में पंजीकृत कुली।

(11) मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।

(12) बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक।

(13) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।

(14) समस्त भूमिहीन कोटवार।

(15) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।

(16) केशशिल्पी।

(17) पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।

(18) एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)।

(19) मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो।

(20) मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो।

(21) प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य एवं उनका परिवार ।

(22) प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2015-16 में प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

(23) प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक।

(24) विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जाति के परिवार।

- **पात्र परिवारों का डाटा डिजिटाईजेशन-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में 536 लाख हितग्राहियों को सम्मिलित किया गया है। इन सभी हितग्राहियों का डाटा डिजिटाईज्ड किया जा चुका है तथा आमजन की जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल (www.food.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।

- **पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड)**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सत्यापित 115.37 लाख पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) जारी की गई है जिसमें पात्र परिवार एवं सदस्य की आईडी नंबर, नाम, पात्रता श्रेणी, संबंधित उचित मूल्य दुकान का नाम, कोड क्रमांक के साथ-साथ परिवार की राशन सामग्री की पात्रता का उल्लेख है। स्थानीय निकाय द्वारा पात्र परिवार के सत्यापन उपरांत पोर्टल से स्वत: निर्मित पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) एक बार जारी की जाती है जब तक कि परिवार की पात्रता में कोई परिवर्तन न हो। विभागीय पोर्टल पर पात्र परिवारों को जारी पात्रता पर्ची आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई गई है। पात्रता पर्ची के आधार पर परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

पात्रता पर्ची का नमूना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु पात्रता पर्ची
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी
उपभोक्ता प्रति (इसे राशन कार्ड पर चस्पा करें)

समग्र

समग्र परिवार आई डी / मुखिया	21449806 / Kailash		पात्रता पर्ची क्र. 33866873
पात्रता परिवार की श्रेणी / श्रेणी अंतर्गत पंजीयन क्र	बी.पी.एल कार्ड धारक / 48/14/073278		
सदस्यों की संख्या / नाम एवं समग्र आई डी	7 / JHUMA BAI [105929306], KAILASH [105916953], NANEE BAI [105917619], DURGAPRASAD [105918369], LAKSHMAN SINGH [105919259], KAPIL KUMAR [105920882], MAYA BAI [105927274]		पात्रता 35 किलो
पता	23, Village-Lasudaliyaghagh Post-Alisariya, Lasudaliyaghagh, Janpad Panchayat, Kalapipal, Shajapur		खाद्यान्न (गेहूं/चावल/मोटा अनाज)
उचित मूल्य की दुकान का नाम	[illegible] (1904026)		
दिनांक 24/05/2014 के अनुसार NIC	सील एवं हस्ताक्षर स्थानीय निकाय के अधिकृत अधिकारी	सील एवं हस्ताक्षर सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	नोट - परिवार को [illegible]

- **उचित मूल्य दुकानों की संख्या एवं राशन सामग्री की उपभोक्ता दर-**

पात्र परिवारों को प्रदेश की 22,396 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसीन प्रदाय किया जा रहा है, जिसमें 4300 शहरी क्षेत्र की एवं 18096 ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानें शामिल हैं। जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की संख्या **परिशिष्ट-दो पर दर्शित है**। इन दुकानों से वितरित होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की दरें **परिशिष्ट-तीन** पर दर्शित है।

- **शक्कर का वितरण-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार माह मार्च, 2014 के पूर्व प्रदेश के समस्त अन्त्योदय अन्न योजना एवं बीपीएल परिवारों जिनकी संख्या लगभग 75 लाख थी, को रियायती दर पर शक्कर उपलब्ध कराई जा रही थी। दिनांक 01 मार्च, 2014 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समस्त पात्र परिवारों को एक किलोग्राम शक्कर प्रतिमाह वितरण कराई जा रही है। इस प्रकार, वर्तमान में लगभग 40 लाख अतिरिक्त परिवारों को शक्कर का वितरण कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा शक्कर वितरण हेतु इस वित्तीय वर्ष में राशि रू. 126.76 करोड़ का प्रावधान किया गया ।

- **आयोडीनयुक्त नमक वितरण योजना का विस्तार-**

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश के सभी 51 जिलो में समस्त अन्त्योदय परिवारों एवं प्राथमिकता परिवारों को दिनांक 01 मार्च, 2014 से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 1 किलो नमक प्रतिमाह रू. 1.00 प्रतिकिलो की दर से वितरित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 115.37 लाख पात्र परिवारों को मार्च, 2017 हेतु 11537 मे.टन नमक का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना हेतु इस वर्ष 91.35 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में प्रावधान किया गया।

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों को रियायती दर पर खाद्यान्न

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से 1.00 रू. प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, वर्तमान में इन छात्र/छात्राओं को 12 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह दिया जा रहा है। इससे प्रदेश के अनुसूचित जाति के 85,164 एवं अनुसूचित जनजाति के 1,70,309 छात्र/छात्राऐं लाभांवित हो रहे हैं। इस पर राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष राशि रू. 13 करोड़ का व्यय किया जा रहा है।

कल्याणकारी संस्थाओं में निवासरत अंत:वासियों के लिए बीपीएल दर पर खाद्यान्न का आवंटन

प्रदेश की कल्याणकारी संस्थाओं में निवासरत 56,366 अंत:वासियों के लिए 620 मे.टन खाद्यान्न प्रतिमाह बीपीएल दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्न को नारी निकेतन, बाल संप्रेक्षण गृह, मूक-बधिर छात्रावास, कुष्ठाश्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास तथा सी.डब्ल्यू.एस.एन. जैसी कल्याणकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है।

- **नीले केरोसीन का वितरण-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 1,15,37,855 परिवारों को पात्र परिवारों के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इन सभी परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नीला केरोसीन (रियायती दर का केरोसीन) उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त परिवारों में लगभग 40 लाख ऐसे परिवार शामिल हैं जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) श्रेणी के अंतर्गत शामिल थे।

भारत सरकार से प्राप्त केरोसीन के त्रैमासिक आवंटन को प्रदेश के 317 थोक विक्रेताओं के द्वारा ऑयल कंपनी के डिपो से उठाव कर उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय सुनिश्चित कराया गया है।

सिंहस्थ, 2016 में साधुओं एवं उनके अनुयायियों का राशन वितरण-

उज्जैन में वर्ष 2016 में आयोजित सिंहस्थ में आये सांधु-संतों एवं उनके अनुयायियों को भोजन हेतु आटा रू. 10 किलो, चावल रू. 10 किलो एवं शक्कर रू. 20 प्रति किलो की दर से वितरण की गई। इनको 1836 मे.टन आटा, 1293 मे.टन चावल एवं 1113 मे.टन शक्कर का प्रदाय किया गया। सिंहस्थ में पहलीबार साधु-संतो एवं अनुयायियों को गेहूं के स्थान पर आटे का वितरण किया गया है

पात्र परिवारों को तुअर दाल वितरण-

प्रदेश में तुअर दाल के बढते हुए भावों को नियंत्रित करने हेतु इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा जिलो के शहरी क्षेत्रों में दाल रू. 100 प्रतिकिलो की दर से वितरण कराई गई। इसके अंतर्गत 344 मे.टन तुअर दाल वितरण कर 3,44,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

राज्य खाद्य आयोग का गठन-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार 'राज्य खाद्य आयोग' का दायित्व अंतरिम रूप से मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग को दिया गया है तथा प्रत्येक जिले के कलेक्टर को 'जिला शिकायत निवारण अधिकारी' घोषित किया गया है।

- **राज्य स्तर से खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसीन का दुकानवार ऑनलाईन आबंटन-**

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरण होने वाली सामग्री के आबंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं इसमें होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए माह जून, 2014 से आयुक्त, खाद्य कार्यालय भोपाल से उचित मूल्य दुकानवार आबंटन जारी किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकानवार सामग्री का आबंटन आम जनता के अवलोकन हेतु विभागीय पोर्टल (www.food.mp.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है। अब मध्यप्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत कोई भी हितग्राही अपनी पात्रता, जिलावार/निकायवार/उचित मूल्य दुकानवार मासिक आवंटन, प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा एवं मूल्य संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाईट पर देख सकता है। वेबसाईट पर यह भी दर्शित है कि कौन सा परिवार किस उचित मूल्य दुकान से सम्बद्ध है एवं उचित मूल्य दुकानवार पात्र परिवारों की संख्या कितनी है। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा संचालनालय से जारी आवंटन अनुसार खाद्यान्न, नमक एवं शक्कर की उपलब्धता अपने 190 प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाती है। प्रदाय केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट-चार** पर दर्शित है।

- **सामग्री प्रदाय एवं वितरण की सूचना SMS द्वारा:-**

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं परदर्शी बनाने के लिए जिला/ब्लॉक/उचित मूल्य दुकान स्तरीय गठित सर्तकता समितियों के सदस्यों को प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकान पर प्रदाय राशन सामग्री की मात्रा की जानकारी SMS के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर पर दी जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें समिति के सदस्यों एवं आमजन को उचित मूल्य दुकान पर प्रदाय सामग्री की जानकारी प्राप्त हो जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिन पात्र परिवार के सदस्यों के डाटाबेस में मोबाईल नंबर उपलब्ध है ऐसे परिवारों द्वारा पीओएस के माध्यम से राशन सामग्री प्राप्त करने के उपरांत मोबाईल पर प्राप्त राशन सामग्री की जानकारी SMS के माध्यम से दी जा रही है। इस व्यवस्था से हितग्राही का राशन अन्य व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा।

- **पीओएस (point of sale) मशीन के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण:-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रदेश के 115.36 लाख परिवारों की पहचान एवं राशन वितरण सुनिश्चित करने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन किया गया है, जिसमें प्रदेश की समस्त 22,096 उचित मूल्य दुकान पर पीओएस मशीन लगाई गई है।

पीओएस मशीन के माध्यम से पात्र परिवारों को सामग्री वितरण के तीन मॉडल निर्धारित हैं, जो निम्नानुसार है :-

- **ऑनलाईन**
    - अपनी सुविधा - अपना राशन (असर)
    - नॉन असर
- **ऑफलाईन**

अपनी सुविधा - अपना राशन (असर व्यवस्था)

ऑनलाईन असर व्यवस्था खण्डवा जिले के नगर निगम क्षेत्र में लागू की गई है जिसे भविष्य में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य नगरीय क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत पात्र परिवारों का समस्त डाटा केन्द्रीय सर्वर पर उपलब्ध रहेगा तथा उचित मूल्य दुकान से वितरण की जाने वाली सामग्री की जानकारी ऑनलाईन अपडेट रहेगी। जिन पात्र परिवारों के आधार नंबर डाटाबेस में उपलब्ध हैं, वह परिवार नगर की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपनी राशन सामग्री प्राप्त कर सकेगा।

- **नॉन असर व्यवस्था (ऑनलाईन)**

नॉन असर व्यवस्था अंतर्गत उचित मूल्य दुकान से संलग्न पात्र परिवार की समस्त जानकारी केन्द्रीय सर्वर से डाउनलोड कर पीओएस मशीन में संग्रहित की जाती है। पात्र परिवार को अपनी निर्धारित उचित मूल्य दुकान से समग्र परिवार आईडी/आधार नंबर के द्वारा सत्यापन उपरांत सामग्री वितरित की जाती है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा क्रय-विक्रय की जानकारी केन्द्रीय सर्वर पर दिन में एक बार अपलोड की जाती है।

- **ऑफलाईन व्यवस्था**

यह व्यवस्था उन उचित मूल्य दुकानों पर लागू की गई है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, इसके अंतर्गत पात्र परिवार का समस्त डाटा एवं उनकी पात्रता पीओएस मशीन

में उपलब्ध कराई जाती है। सप्ताह में एक बार मशीन को इंटरनेट कनेक्टिविटी क्षेत्र में ले जाकर उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन से सामग्री वितरण की जानकारी केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड की जाती है।

पीओएस मशीन से राशन सामग्री वितरण किए जाने पर पात्र परिवारों को एक रसीद दी जा रही है जिसमें परिवार की समग्र आईडी उचित मूल्य दुकान से प्रदाय सामग्री की मात्रा एवं राशि का विवरण रहता है।

- **आधार आधारित वितरण व्यवस्था-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों की पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर की जाकर राशन वितरण की व्यवस्था 16 नगर निगम क्षेत्रों यथा इन्दौर, भोपाल, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, सागर, जबलपुर कटनी, सतना, सिंगरौली, रीवा और मुरैना नगर निगम क्षेत्र में लागू की गई है। शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इस व्यवस्थांतर्गत जिन पात्र परिवारों के अगूठे एवं ऊगलियों के निशान अस्पष्ट होने के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन सफल न होने के कारण ऐसे परिवारों को निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आधार नंबर से पहचान कर वितरण पंजी के माध्यम से राशन वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- **पात्र परिवार जनसंख्या के डाटाबेस में आधार नंबर की प्रविष्टी-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 536.55 लाख जनसंख्या के डाटाबेस में से 340.78 लाख आधार नंबर की प्रविष्टी की व्यवस्था की गई है। शेष परिवारों के सदस्यों में आधार नंबर की प्रविष्टी हेतु माह फरवरी, 2017 से "आधार आपकी पहचान" अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत उचित मूल्य दुकान स्तर पर पीओएस मशीन से आधार नंबर की प्रविष्टी के विक्रेता द्वारा नोडल अधिकारी की उपस्थिति में की जा रही है। अभी तक इस अभियान के अंतर्गत 55 लाख पात्र परिवार जनसंख्या के डाटाबेस में आधार नंबर की प्रविष्टी की जा चुकी है। जिन पात्र परिवारों की जनसंख्या के डाटाबेस में गलत आधार नंबर प्रविष्ट हुए है उनके सही आधार नंबर डालने की व्यवस्था तहसील स्तर पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा करने की व्यवस्था की गई है।

- **पात्र परिवारो का डाटा को पृथक कर स्थिर किया गया-**

समग्र सामाजिक सुरक्ष मिशन के अंतर्गत सर्वेक्षित परिवारों के डाटाबेस में विभिन्न विभागों द्वारा नियमित अपडेशन की कार्यवाही की जाती है। जिससे पात्र परिवार अपनी उचित मूल्य दुकानों से स्वत: अनमेप होने की समस्या के निराकरण हेतु पात्र परिवारों के डाटाबेस को

समग्र डाटाबेस से पृथक कर स्थिर कर दिया गया है। पात्र परिवारों के डाटाबेस में अपडेशन की प्रक्रिया का निर्धारण पृथक से विभाग द्वारा किया जा रहा है।

- **द्वार प्रदाय योजना-**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लीड समिति के स्थान पर 'द्वार प्रदाय योजना' के तहत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक का प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकिया का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यक वस्तुओं का त्वरित परिवहन एवं दुकान स्तर पर नियमित उपलब्धता के साथ ही परिवहन के दौरान आवश्यक वस्तुओ के व्यपर्वतन पर नियंत्रण करना है।

द्वार प्रदाय योजनांतर्गत प्रदेश के सभी 347 सेक्टरों में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

उचित मूल्य दुकानों के लिए नवीन कमीशन व्यवस्था लागू-

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु खाद्यान्न वितरण पर कमीशन में वृद्धि की गई है जिसके तहत नगरीय उचित मूल्य दुकानों को रू. 20 प्रति क्विंटल के स्थान पर रू. 70 प्रति क्विंटल तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक विक्रेता एक दुकान संचालित करने पर प्रतिमाह रू. 8,400 तथा आंशिक रूप से संचालन करने पर रू. 2,400 कमीशन माह अप्रेल, 2015 से दिया जा रहा है।

शेड निर्माण-

प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों से पात्र परिवारों को सामग्री प्राप्त करने के समय वर्षा एवं धूप से बचाने के लिए दुकान के सामने 10x15 क्षेत्रफल का पक्का शेड निर्माण की योजना लागू की गई है। इस योजनांतर्गत 3,000 उचित मूल्य दुकानों जिसमें संस्था के स्वयं के भवन है उनमें शेड-फर्श निर्माण कराया जाएगा। प्रति शेड फर्श की लागत राशि रू. 50,000 निर्धारित की गई है। अभी तक प्रदेश की 1486 उचित मूल्य दुकानों पर शेड-फर्श का निर्माण कराया जा चुका है। शेष में निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को टेबलेट प्रदाय-

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवंटित प्रदाय एवं वितरण की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने हेतु प्रदेश के 229 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को टेबलेट हेतु राशि रू. 50.38 लाख के बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें प्रत्येक टेबलेट हेतु रू.

22,000 अधिकतम राशि उपलब्ध कराई गई है। टेबलेट दिनांक 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

उचित मूल्य दुकानों पर इलेक्ट्रोनिक तौल-कांटे की व्यवस्था-

पात्र परिवारों को निर्धारित मात्रा में सही तौलकर खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक प्रदाय सुनिश्चित् करने हेतु प्रदेश की 3555 उचित मूल्य दुकानों पर इलेक्ट्रोनिक तौल-कांटे उपलब्ध करा दिये गये है शेष दुकानों पर आगामी वर्षों में उपलब्ध कराये जायेंगे।

खाद्यान्न उपार्जन - ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत

राज्य सरकार द्वारा उपार्जन की मानवीय प्रक्रिया पर निर्भरता समाप्त कर कम्प्यूटर के माध्यम से उपार्जन का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों पर कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस, उपलब्ध कराये गये हैं। ई-उपार्जन परियोजनान्तर्गत प्रदेश के किसानों का उपार्जन केन्द्र पर उनके द्वारा बोई गई फसल के रकबे का पंजीयन किया जाता है। पंजीयन में उल्लेखित रकबे का राजस्व विभाग के अमले द्वारा मौके पर सत्यापन कराये जाने के उपरांत उनकी तहसील की फसल उत्पादकता के आधार पर उपार्जन किया जाता है। उपार्जन हेतु किसानों को एसएमएस के माध्यम से पूर्व में सूचना दी जाती है, ताकि किसान को उपार्जन केन्द्र पर अपनी फसल विक्रय करने हेतु अधिक समय तक इन्तजार न करना पड़े। किसान द्वारा विक्रय की गई फसल की राशि सीधे उसके बैंक खाते में अधिकतम 3 दिवस के भीतर जमा कराई जाती है।

- **गेहूँ का उपार्जन-**

रबी उपार्जन वर्ष 2016-17 में ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत प्रदेश के 5,33,468 किसानों से 39,91,661 मे.टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। किसानों को राज्य सरकार द्वारा राशि रू. 6,08,728 लाख का भुगतान किया गया।

- **धान एवं मोटे अनाज का उपार्जन-**

खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 2,87,761 किसानों से 19,61,333 मे.टन धान का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया, उपार्जन समितियों द्वारा किसानों को शुद्ध कुल रू. 254049.82 लाख का भुगतान किया गया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 28,238 किसानों से 2,35,236 मे.टन मक्का का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया, उपार्जन समितियों द्वारा किसानों को शुद्ध कुल रू. 27869.25 लाख का भुगतान किया गया है।

वर्ष 2003-04 से गेहूं, धान एवं मोटे अनाज के समर्थन मूल्य की जानकारी **परिशिष्ट-पांच** एवं वर्षवार खरीदी मात्रा की जानकारी **परिशिष्ट-छः** पर दर्शित है।

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की ई-उपार्जन परियोजना को भारत सरकार द्वारा सराहा गया है। इस व्यवस्था को देश के अन्य प्रदेशों में भी लागू किया जा सके। इस हेतु पोर्टल विकसित करने के लिए प्रदेश के एनआईसी के तकनीकी अमले को भारत सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया है।

गोदाम स्तर पर खाद्यान्न उपार्जन-

समर्थन मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न के उपार्जन तथा परिवहन व्यय को न्यूनतम करने की दृष्टि से प्रदेश में गोदाम स्तर पर खाद्यान्न का उपार्जन किया जाएगा। इन गोदामों पर 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले उपार्जन केन्द्रों को संलग्न किया जाएगा। गोदाम स्तर पर खाद्यान्न उपार्जन करने हेतु तुलाई, भराई, सिलाई एवं ग्रेडिंग की आधुनिक यांत्रिकीय (mechanised) व्यवस्था की जाएगी जिससे किसानों को फसल को विक्रय करने में अधिक समय इन्तजार नहीं करना पड़ेगा। उपार्जन स्थल पर किसानों के लिए पीने के पानी, बैठने हेतु छायादार स्थान एवं आवश्यक सुविधा सहित सम्पूर्ण व्यवस्था रहेगी। इस व्यवस्था से जहां शासन को परिवहन पर होने वाले व्यय में कमी आएगी वहीं किसानों द्वारा फसल विक्रय करना अधिक सुविधाजनक होगा। रबी मौसम वर्ष 2016-17 में 260 एवं खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2016-17 में 92 गोदामों पर खाद्यान्न का उपार्जन किया गया है।

महिला नीति का क्रियान्वयन

आर्थिक सशक्तिकरण -

महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में महिलाओं की संस्थाओं को यथासम्भव एक-तिहाई उचित मूल्य दुकानों को महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। ऐसी उचित मूल्य दुकानों की विक्रेता भी महिला ही होगी। यह उल्लेखनीय है ऐसी संस्थाओं को महिलाओं की संस्था समझा जाएगा जिसकी सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण महिलाऐं हों।

महिला सशक्तिकरण -

- समाज में महिलाओं की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार चिहांकित पात्र परिवारों में वरिष्ठ स्त्री जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो राशनकार्ड (पात्रता पर्ची) जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया होगी एवं उसी के नाम से राशनकार्ड (पात्रता पर्ची) जारी किया जाएगा।

- जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य हैं तो वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशनकार्डों के लिए पुरूष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया हो जाएगी।

खाद्य सुरक्षा -

असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली घरेलू कामकाजी महिलाओं के परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं को प्राथमिकता परिवार श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, इस श्रेणी की 2,36,312 महिलाओं के परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्रतानुसार रियायती दर पर खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसीन का वितरण किया जा रहा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा-

शासकीय सेवारत महिलाओं को उनके कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु "विशाका गाईड- लाईन" के अनुरूप समिति का गठन किया गया है।

जेण्डर बजट सेल-

वित्त विभाग के चार्टर ऑफ जेण्डर बजट सेल के प्रावधान अनुसार खाद्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रावधानित बजट में जेण्डर बजट का निर्धारण एवं उसका समुचित उपयोग करने हेतु जेण्डर सेल का गठन किया गया है।